भारतीय खेल प्राधिकरण
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर (पूर्वी द्वार)
द्वार सं.10, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110 003

खेल विज्ञान कार्मिकों की नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए सूचना

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (यु.का.खे.मं.) के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) खेल विज्ञान और चिकित्सा संवर्ग में निम्नलिखित पदों को भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है :

पद का नाम	खेल विधा	वेतनमान	पदों की संख्या
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	1. मनोविज्ञान–2 2. शरीरविज्ञान–4 3. बॉयोकेमिस्ट्री–2 4. आहार एवं पोषण–2 5. बॉयोमेकेनिक–3 6. एन्थ्रोपोमेट्री–2 7. खेल चिकित्सा–4	वेतन बैण्ड– 3 15600–39100+ ग्रेड वेतन–5400/–	19
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	1. मनोविज्ञान–2 2. शरीरविज्ञान–2 3. बॉयोमेकेनिक्स–1	वेतन बैण्ड– 1 5200–20200+ ग्रेड वेतन–2800/–	05

ब्यौरे तथा आवेदन प्रपत्र भाखेप्रा की वेबसाईट यथा **डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. स्पोर्ट्सअथॉरिटीऑफइण्डिया.एनआईसी.इन** तथा रोजगार समाचार..................... अक्तूबर,2012 पर भी उपलब्ध है ।

पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन निम्नलिखित पते पर दिनांक 31.10.2012 तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए :

निदेशक (कार्मिक)
भारतीय खेल प्राधिकरण
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (पूर्वी द्वार)
द्वितीय तल, लोधी रोड,
नई दिल्ली– 110 003

भारतीय खेल प्राधिकरण
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर (पूर्वी द्वार)
लोधी रोड, नई दिल्ली– 110 003

भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार समस्त भारत में स्थित अपने मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली तथा विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों/उपकेन्द्रों में भाखेप्रा (खेल विज्ञान एवं चिकित्सा) स्टॉफ भर्ती नियम 1992 के अंतर्गत खेल विज्ञान एवं चिकित्सा संवर्ग में विभिन्न पदों को भरने के लिए भारत के पात्र नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है :–

पद का नाम	विधा	पदों की संख्या	वेतनमान	रिक्तियों की संख्या				
				सामा.	अ. पि. व.	अ. जा.	अ. ज. जा.	कुल
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	1. मनोविज्ञान 2. शरीरविज्ञान 3. बॉयोकेमिस्ट्री 4. आहार एवं पोषण 5. बॉयोमेकेनिक 6. एन्थ्रोपोमेट्री 7. खेल चिकित्सा	2 4 2 2 3 2 4	वेतन बैण्ड– 3 15600–39100+ ग्रेड वेतन–5400/–	10	6	2	1	19
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	1. मनोविज्ञान 2. शरीरविज्ञान 3. बॉयोमेकेनिक्स	2 2 1	वेतन बैण्ड– 1 5200–20200+ ग्रेड वेतन–2800/–	2	2	1	–	5

टिप्पणीः

1. उपरोक्त पदों के लिए रोजगार समाचार 17–23 सितम्बर,2011 में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से पहले आमंत्रित आवेदनों को रद्द कर दिया गया है । तथापि, जिन आवेदकों ने विज्ञापन दिनांक 17–23 सितम्बर,2011 के प्रत्युत्तर में पहले आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और यदि वे विज्ञापन दिनांक 17–23 सितम्बर,2011 के अंतर्गत पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो उनके आवेदन पर विचार किया जायेगा ।

2. जिन आवेदकों ने पहले आवेदन कर दिया है उन्हें इस सम्बन्ध में अपनी अनिच्छा प्रस्तुत करनी होगी कि वे संशोधित चयन प्रणाली से सहमत नहीं है तत्पश्चात उन्हें जमा कराया गया शुल्क वापस कर दिया जायेगा । आवेदक से कोई भी अनिच्छा प्राप्त न होने के मामले में यह समझ लिया जायेगा कि उन्हें संशोधित चयन प्रणाली स्वीकार्य है और यदि वे पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा ।

3. रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और भाखेप्रा की आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है ।

2.0 भारतीय खेल प्राधिकरण

2.1 भारतीय खेल प्राधिकरण समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (यु.का.खे.मं.) के अन्तर्गत स्वायत्त शासी निकाय है, जिसका उद्देश्य देश में खेलों का विकास और प्रोत्साहन करना है । वर्तमान में भाखेप्रा का मुख्य उद्देश्य खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित तथा तैयार करना है । इसके पास पूरे देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधिसंरचनाओं के साथ–साथ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योग्य प्रशिक्षक हैं ।

3.0 न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं

(क) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों (जे.एस.ओ.) के लिए

क.सं.	पद का नाम	अपेक्षित योग्यता
1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मनोविज्ञान)	**अनिवार्यः** 1. सामान्य/अ.पि.व. के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान/क्लीनिकल मनोविज्ञान/सम्बद्ध मनोविज्ञान में एम.एससी/एम.ए 2. सम्बन्धित विषय में 02 वर्ष का कार्य, अनुसंधान/अध्यापन का अनुभव **वांछनीयः** सम्बन्धित विधा में पीएच.डी
2.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (शरीरविज्ञान)	**अनिवार्यः** 1. सामान्य/अ.पि.व. के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शरीरविज्ञान/एक्सरसाईज शरीरविज्ञान में एम.एससी/एम.डी

		2. सम्बन्धित विषय में 02 वर्ष का कार्य, अनुसंधान/अध्यापन का अनुभव **<u>वांछनीयः</u>** सम्बन्धित विधा में पीएच. डी
3.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बॉयो–केमिस्ट्री)	**<u>अनिवार्यः</u>** 1. सामान्य/अ.पि.व. के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बॉयो–केमिस्ट्री में एम.एससी/एम.डी 2. सम्बन्धित विषय में 02 वर्ष का कार्य, अनुसंधान/अध्यापन का अनुभव **<u>वांछनीयः</u>** सम्बन्धित विधा में पीएच. डी
4.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (आहार एवं पोषण)	**<u>अनिवार्यः</u>** 1. सामान्य/अ.पि.व. के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आहार एवं पोषण/सम्बद्ध पोषण/ आहार विज्ञान/ डाईटेटिक्स में विशेषज्ञता के साथ गृह विज्ञान में एम.एससी 2. सम्बन्धित विषय में 02 वर्ष का कार्य, अनुसंधान/अध्यापन का अनुभव **<u>वांछनीयः</u>** सम्बन्धित विधा में पीएच. डी
5.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बॉयोमेकेनिक्स)	**<u>अनिवार्यः</u>** 1. सामान्य/अ.पि.व. के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत

		अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बॉयो–फिजिक्स में एम.एससी 2. सम्बन्धित विषय में 02 वर्ष का कार्य, अनुसंधान/अध्यापन का अनुभव **वांछनीयः** सम्बन्धित विधा में पीएच. डी
6.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (एन्थ्रोपोमेट्री)	**अनिवार्यः** 1. सामान्य/अ.पि.व. के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एन्थ्रोपोलोजी/ मानव बॉयोलोजी में एम.एससी 2. सम्बन्धित विषय में 02 वर्ष का कार्य, अनुसंधान/अध्यापन का अनुभव **वांछनीयः** सम्बन्धित विधा में पीएच. डी
7.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (खेल चिकित्सा)	**अनिवार्यः** 1. एक वर्ष के इंटरशिप के साथ एमबीबीएस और खेल चिकित्सा में डिप्लोमा **वांछनीयः** एमडी/एमएस

(ख) **कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों (जे.एस.ए.) के लिए**

क.सं.	पद का नाम	अपेक्षित योग्यत
1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (मनोविज्ञान)	सामान्य/अ.पि.व. के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान/क्लीनिकल मनोविज्ञान/सम्बद्ध मनोविज्ञान में

		बी.एससी/बी.ए
2.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (शरीरविज्ञान)	सामान्य/अ.पि.व. के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शरीरविज्ञान/एक्सरसाईज शरीरविज्ञान में बी.एससी
3.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (बॉयोमेकेनिक्स)	सामान्य/अ.पि.व. के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बॉयोफिजिक्स में बी.एससी

3.2 31.10.2012 को आयु सीमा

1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	35 वर्ष
2.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	25 वर्ष

नीचे दिए गए पैरा 05 के अनुसार आयु में छूट

4.0 <u>पद इत्यादि के ब्यौरे</u>

4.1 महानिदेशक, जो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं, और सचिव दोनों को ही भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

4.2 कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का पद खेल विज्ञान और चिकित्सा संवर्ग में वर्ग 'क' में प्रवेश स्तर का है । मनोविज्ञान, शरीरविज्ञान, बॉयोकेमिस्ट्री, आहार एवं पोषण, बॉयोमेकेनिक्स, एन्थ्रोपोमेट्री और खेल चिकित्सा विधाओं के लिए एक मिश्रित योग्यता सूची तैयार की जाएगी ।

4.3 भर्ती नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पदोन्नति के लिए वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और तत्पश्चात अधिष्ठाता (खेल विज्ञान) के लिए पात्र होते हैं । अधिष्ठाता (खेल विज्ञान) वर्तमान में, वेतन बैण्ड-4 में 8700/-रू. के ग्रेड वेतन के साथ 37,400-67,000/-रू. के वेतनमान में कार्यरत हैं ।

4.4 कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक पदोन्नति हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (वर्ग 'क') तथा उससे उच्च पद के लिए पात्र होते हैं । मनोविज्ञान, शरीरविज्ञान और बॉयोमेकेनिक्स विधाओं के लिए एक मिश्रित योग्यता सूची तैयार की जाएगी ।

4.5 उपरोक्त दर्शाई रिक्तियों के अनुसार रिक्त पदों को भरा जाएगा ।

4.6 चयनित अभ्यर्थियों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है और उनकी वरिष्ठता अखिल भारतीय आधार पर अनुरक्षित की जाएगी ।

4.7 भाखेप्रा के पास किसी भी अभ्यर्थी को भारत में कहीं भी तैनात करने का अधिकार सुरक्षित है । इस सम्बन्ध में भाखेप्रा का निर्णय अन्तिम और अभ्यर्थियों पर बाध्यकर होगा । इसलिए भारत में कहीं भी कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी ही आवेदन करें ।

4.8 **भत्ते तथा अन्य लाभ** : भर्ती किए गए अभ्यर्थी केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, अवकाश, चिकित्सा लाभ इत्याादि के लिए पात्र होंगे ।

5.0 आयु सीमा में छूट

क. 1. विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक

2. वे कार्मिक/अभ्यर्थी जो भा0खे0प्रा0 के नियमित कार्मिक नहीं है परन्तु संविदा आधार पर तैनात किये गये है, उन्हें भा0खे0प्रा0 में संविदा आधार पर उनकी नियुक्ति की पूरी अवधि तथा 3 वर्ष के लिए आयु सीमा में छूट दी जायेगी अर्थात् ऐसे कार्मिकों को उनकी वास्तविक आयु से ऐसी सेवा अवधि को कम करने की अनुमति होगी और यदि इसके परिणामस्वरूप पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नही होती है तो उन्हें आयु सीमा शर्तो के अन्तर्गत पात्र समझा जायेगा । उन्हें शिक्षा इत्यादि की अन्य योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा ।

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम 05 वर्ष तक

ग. अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम 03 वर्ष तक

घ. 01.01.80 से 31.12.89 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सामान्य रूप से अधिवासी व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष

च. किसी अन्य देश के साथ युद्ध अथवा अशांत क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान विकलांग अथवा इसके परिणाम स्वरूप रिहा किए गए रक्षा सेवा कार्मिक के मामले में अधिकतम 03 वर्ष तक

छ. भूतपूर्व सैनिक जिसमें कमीशन अधिकारी और ईसीओ/एसएससीओ जिन्होंने 01 मई,2011 तक मिलिट्री सेवा में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो और (i) कार्य की समाप्ति पर (जिसमें 01 मई,2011 तक कार्य देय वाले भी शामिल है) अन्यथा दुर्व्यवहार अथवा प्रभावहीनता के मामले में पद से हटाया गया हो अथवा पद मुक्त किया गया हो अथवा (ii) मिलिट्री सेवा में शारीरिक विकलांगता अथवा (iii) अमान्यता पर मुक्त किए गए हो, के मामले में अधिकतम 05 वर्ष तक ।

ज. ईसीओ/एसएससीओ जिन्होंने 01 मई,2011 तक 05 वर्षीय सैन्य सेवा के कार्य की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली हो और जिनका कार्य 05 वर्ष से अधिक बढ़ा दिया गया हो और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय ने एक प्रमाण पत्र जारी किया हो कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि से चयन पर 03 माह के नोटिस पर मुक्त किया जाएगा, के मामले में अधिकतम पांच वर्ष तक ।

झ. सरकारी संस्था में कार्यरत कार्मिकों के लिए अधिकतम पांच वर्ष तक

ट. भारत सरकार के अनुदेशों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष । इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को उसके नियोक्ता से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह विज्ञापन की तिथि पर एक सरकारी कर्मचारी है ।

ठ. शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक

5.1 उपरोक्त अनुच्छेद 5.0 की अन्य शर्तों, यथा भूतपूर्व सैनिक, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अधिवासी व्यक्तियों, शारीरिक रूप से विकलांगता इत्यादि के अन्तर्गत आने वाले सम्मिलित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों दोनों श्रेणियों में संचयी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी ।

5.2 भूतपूर्व सैनिकों की शर्तें उन व्यक्तियों पर लागू होगी जो समय–समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पदों में पुनः रोजगार) नियम 1979 में भूतपूर्व सैनिकों के रूप में परिभाषित किए गए हों ।

5.3 भूतपूर्व सैनिक और कमीशंड अधिकारियों, जिनमें उनके अनुरोध पर मुक्त ईसीओ/एसएससीओ शामिल है, को आयु में छूट नहीं दी जाएगी ।

5.4 उपरोक्त दर्शाए अनुसार निर्धारित आयु सीमा में किसी भी मामले मे छूट नहीं दी जाएगी ।

5.5 भाखेप्रा द्वारा वह जन्म तिथि स्वीकृत की जाएगी जो मैट्रिक अथवा सैकेण्डरी स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र अथवा मैट्रिक के समकक्ष भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पत्र अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित मैट्रिक के

रजिस्टर, जिसे विश्वविद्यालय अथवा हायर सैकैण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया हो, में दर्ज हो ।

इन प्रमाण पत्रों को आवेदन करते समय प्रस्तुत करना अपेक्षित है । जन्म–पत्री, श्वेत पत्रों, नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्रों, सेवा अभिलेखों जैसे आयु सम्बन्धी किसी अन्य दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

अनुदेश के इस भाग में मैट्रिक/सैकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र में उपरोक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र शामिल किए गए हैं ।

5.6 अभ्यर्थी ध्यान दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर मैट्रिक/सैकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि को स्वीकार किया जाएगा और इसमें परिवर्तन के लिए आगामी अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5.7 अभ्यर्थी आवेदन के कॉलम 3 में अपनी जन्म तिथि ध्यानपूर्वक दर्ज करें । किसी आगामी चरण में यदि सत्यापन नहीं होता है तो मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में एक बार दर्ज जन्म तिथि में भिन्नता पाए जाने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

6.0 <u>चयन प्रक्रिया</u>

6.1 पात्र अभ्यर्थियों को 80 अंकों की एक लिखित परीक्षा (परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी) देनी होगी ।

6.2 लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की गई योग्यता सूची में से अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा । विचारार्थ पात्रता के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 33%) अंक प्राप्त करने होंगे ।

6.3 लिखित परीक्षा में सफल होने और पात्रता शर्तो को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को विशेष खेल विधावार 1:3 के अनुपात में अंतिम चयन के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा और साक्षात्कार 20 अंकों का होगा ।

6.4 साक्षात्कार और लिखित परीक्षा पर आधारित चयन समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा ।

6.5 साक्षात्कार की कार्यवाही कैमरा में रिकार्ड की जायेगी ।

7.0 <u>आवेदन शुल्क (अप्रत्यर्पणीय)</u>

अपने आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को **''सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण''** के पक्ष में नई दिल्ली में देय आवेदन शुल्क के रूप में अप्रत्यर्पणीय 500/–रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा ।

महत्वपूर्णः

अभ्यर्थी आवेदन पत्र भेजने से पूर्व बैंक ड्रॉफ्ट पर निम्नलिखित की जांच अवश्य करे :–

- ड्राफ्ट पर जारी होने की तिथि सही होनी चाहिए
- बैंक प्राधिकारियों के हस्ताक्षर
- शाखा कोड सहित जारी करने वाले बैंक का पता
- शब्दों और अंकों में अंकित ड्राफ्ट राशि सही हो
- ड्राफ्ट ''सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण'' के पक्ष में नई दिल्ली में देय हो
- बैंक ड्राफ्ट 06 महीने के लिए वैध हो
- कृपया डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और सम्पर्क दूरभाष नं0 लिखे ।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न विकृत/गलत ड्राफट के मामले में आवेदन को रद्द समझा जाएगा ।

एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदनों को वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान किए गए आवेदन शुल्क को किन्हीं भी परिस्थितियों में न तो वापिस किया जाएगा और न ही इसे आगामी भर्ती के लिए सुरक्षित रखा जाएगा ।

भाखेप्रा भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर/रेखांकित चैक/करैंसी नोट अथवा कोष चालान इत्यादि के माध्यम से भेजे गए शुल्क को स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे आवेदनों को शुल्क के बिना प्राप्त समझा जाएगा ।

8.0 शुल्क में छूटः

महिला अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों से शुल्क नहीं लिया जाएगा । मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा यथा हस्ताक्षरित किसी सरकारी अस्पताल द्वारा जारी निर्धारित चिकित्सा प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करने की शर्त पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भी शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाती है । इसी प्रकार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों को भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी । ऐसे साक्ष्य के अभाव में और यदि शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो तो आवेदन को ''शुल्क का भुगतान नहीं'' के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा । बाद में किए गए किसी भी पत्र व्यवहार अथवा भेजे गए साक्ष्य पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

9.0 आवेदन कैसे करें

9.1 सभी पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले अभ्यर्थी अनुबन्ध में दिए गए आवेदन प्रपत्र में स्पष्ट अक्षरों में हस्तलिखित अथवा **ए–4 आकार** के पेपर पर टाईप किए

हुए अपने आवेदन प्रस्तुत करें । अभ्यर्थी आयु सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अनुसंधान, जाति प्रमाण पत्र आदि की फोटोप्रति आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करें । **अभ्यर्थी भाखेप्रा की वेबसाईट यथा, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.स्पोर्ट्सअथॉरिटीऑफइण्डिया.एनआईसी.इन से आवेदन प्रपत्र डाउन लोड कर सकते हैं ।**

9.2 केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संगठनों में कार्यरत अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी से सतर्कता सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ उचित माध्यम से आवेदन करे । तथापि विलम्ब से बचने के लिए पूर्ण रूप से भरे गए तथा अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति अन्तिम तिथि तक जमा करा दें ।

10.0 आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि

10.1 आवेदन शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के साथ पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि **31.10.2012** है । संलग्नकों के साथ पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन बन्द लिफाफे जिसमें **“ ....के पद के लिए आवेदन (पद का नाम एवं विधा लिखें)”** लिखा हो, निम्न दर्शाये पते पर भेजें :–

निदेशक (कार्मिक)
भारतीय खेल प्राधिकरण
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (पूर्वी द्वार)
द्वितीय तल, लोधी रोड,
नई दिल्ली– 110 003

10.2 सभी आवेदन पत्र उपरोक्त पते पर दस्ती, अथवा स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर द्वारा **31.10.2012** तक या इससे पहले पहुंच जाने चाहिए ।

10.3 असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लाहोल और स्पीती जिला और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिला के पांगी सब–डिविजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप अथवा विदेश में रहने वाले अभ्यर्थियों से डाक (डाक/स्पीड पोस्ट) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की अन्तिम तारीख **07.11.2012 सायं 5.00 बजे** तक है । बढ़ाई गई अवधि का लाभ केवल उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्रों/प्रदेशों में रहने वाले अभ्यर्थियों से **डाक/स्पीड पोस्ट** द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही दिया जाएगा । यदि आवेदन पत्र दस्ती अथवा कोरियर सर्विस द्वारा प्राप्त होता है तो बढ़ाई गई अवधि का लाभ नहीं मिलेगा चाहे अभ्यर्थी उपरोक्त उल्लिखित स्थान पर रहता है । जो अभ्यर्थी बढ़ाई गई अवधि का लाभ ले रहे हैं वे आवेदन पत्र के कॉलम 11 में उस क्षेत्र का एरिया कोड स्पष्ट रूप से लिखे जिस क्षेत्र में वे रह रहे हैं (उदाहरण के लिए असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर इत्यादि) । यदि वे ऐसा करने में असफल हो जाते हैं तो उन्हें बढ़ाई गई अवधि का लाभ नहीं दिया जाएगा ।

10.4 अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा भेजा गया आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कारण से आवेदन की प्राप्ति में हुई देरी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निर्धारित तिथि के

उपरान्त किसी भी हालत में कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा तथा विलम्ब से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जायेगा । अतः सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित तिथि तक या इससे पहले भाखेप्रा कार्यालय में उनके आवेदन पत्र पहुंच जाने चाहिए ।

10.5 अभ्यर्थी पैरा 10.1 में दिए गए पते पर उचित पावती के साथ अपने आवेदन पत्र व्यक्तिगत तौर पर भी जमा करवा सकते हैं । भाखेप्रा के अन्य कार्यालयों में प्राप्त होने वाले आवेदनों के प्रति भारतीय खेल प्राधिकरण की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी ।

10.6 अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि पैरा 10.1 में उद्धृत पते पर केवल सायं 5 बजे तक एक समय में एक ही दस्ती आवेदन स्वीकार किया जाएगा तथा एक से अधिक आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

10.7 कोरियर के द्वारा अथवा किसी भी प्रकार की कोरियर सेवाओं के द्वारा प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों को **''दस्ती द्वारा''** प्राप्त आवेदन समझा जायेगा ।

11.0 <u>सामान्य अनुदेश</u>

क. अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखे कि वे विज्ञापन में दर्शाए अनुसार सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते है । पात्रता शर्तों को पूरा न करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती/चयन के किसी भी चरण में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

ख. आवेदन पत्र वाले लिफाफे के शीर्ष पर **स्पष्ट अक्षरों में '' '' .... के पद के लिए आवेदन (पद का नाम एवं विधा लिखें)''** लिखा होना चाहिए ।

ग. निर्धारित प्रपत्र में अथवा <u>अपूर्ण/अहस्ताक्षरित</u> अथवा आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र की प्रति अथवा आवेदन शुल्क (जहां लागू हो) के लिए डिमांड ड्राफ्ट के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और इन्हें रद्द कर दिया जाएगा ।

घ. पात्रता चयन और तैनाती से सम्बन्धित सभी मामलों में भाखेप्रा का निर्णय अन्तिम और सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकर होगा । इस सम्बन्ध में किसी भी अभ्यावेदन अथवा पत्र व्यवहार पर भाखेप्रा द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

च. किसी भी रूप में किए गए पक्ष प्रचार से अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

(सचिव, भाखेप्रा)